



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267275
CG-DL-E-30102025-267275

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2025/कार्तिक 7, 1947

No. 312]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/KARTIKA 7, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2025
सं. 29/2025-2026

विषय: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.88 और पैरा 2.91 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/60/एम-25/पीसी-2क/ई-44332.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.91 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(क) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.88 (क) के तहत, मुक्त व्यापार समझौतों के मौजूदा सूची के पश्चात एक नई प्रविष्टि को क्रम सं. xiv के साथ निम्नानुसार जोड़ा गया है:

“xiv. भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (भारत-ईएफटीए टीईपीए)”

(ख) प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.91 में एक नए उप-पैरा (ड.) को निम्नानुसार जोड़ा गया है:

“2.91 (ड.): भारत-ईएफटीए टीईपीए के मामले में, प्राधिकृत एजेंसी द्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने के अलावा, संबंधित निर्यातक द्वारा स्वयं-घोषणा के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र जारी करने की मौजूदा प्रणाली के अलावा, भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) के तहत स्वयं घोषणा द्वारा उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ) प्राप्त करने हेतु निर्यातकों की सुविधा के लिए प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.88 (क) और पैरा 2.91 को संशोधित किया गया है।

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th October, 2025

No. 29 / 2025-26

Subject: Amendments in Para 2.88 and Para 2.91 of Handbook of Procedures-reg.

F. No. 01/89/180/60/AM-25/PC-2(A)/E-44332.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 2.91 of the Handbook of Procedures 2023:

(A) Under Para 2.88 (a) of HBP, a new entry with serial no. xiv is inserted after the existing list of Free Trade Agreements (FTAs) as under:

"xiv. India-European Free Trade Association Trade and Economic Partnership Agreement (India-EFTA TEPA)"

(B) Under Para 2.91 of HBP 2023, a new sub-para (e) is inserted as mentioned below:

"2.91 (e): In case of India- EFTA TEPA, Certificates of Origin may also be obtained on the basis of self-declaration by the exporter concerned, in addition to issuance of Certificate of Origin by an authorised agency".

Effect of this Public Notice: Para 2.88(a) and Para 2.91 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023 have been amended to facilitate exporters to obtain the Certificate of Origin (CoO) under the India–EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) through self-declaration, in addition to the existing system of issuance of Certificates of Origin by the authorised agencies.

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.